न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
023/2021 (रसद) (GCMS 2021/502)	13.12.2021	20.04.2022

अनवान

आवेश अख्तर पिता अब्दुल मजीद खां जाति मुसलमान आयु 47 साल निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– बीएल पोखरना — अधिवक्ता अपीलार्थी
हितेश जोशी — पैरोकार सरकार

अपील विरूद्ध आदेश श्रीमान् जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ दिनांक 13.12.2017 बमामले मुकदमा नंबर रसद/विधि/479/2016 सरकार बनाम आवेश अख्तर उचित मूल्य दुकानदार सावा एफपीएस कोड संख्या 24171 लाईसेंस नंबर 6/2001 जिसे उक्त आदेश के द्वारा जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने निरस्त किया के विरूद्ध

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 13.12.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी आवेश अख्तर को उचित मूल्य की दुकान ग्राम सावा में रसद लाईसेंस नंबर 6/2001 रसद विभाग चित्तौड़गढ़ द्वारा दी गई थी। इस लाईसेंस के आधार पर उचित मूल्य की दुकान संचालन का दायित्व रसद विभाग द्वारा अपीलार्थी आवेश अख्तर को दिया गया था। इस लाईसेंस के आधार पर अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार के द्वारा लाईसेंस निरस्ती दिनांक 13.12.2017 तक लगभग 16 वर्षो से निरन्तर सही ढंग से उचित मूल्य दुकान का संचालन ग्राम सावा में किया जा रहा था। विभाग की कोई शिकायत उक्त 16 वर्षो के दौरान अपीलार्थी के विरूद्ध नहीं हुई है। सन् 2016 में अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार की दुकान पर पोस मशीन में अवैध ट्रांजेक्शन राशन वितरण के संबंध में बताकर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.07.2017 को श्री हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी (रसद) चित्तौड़गढ़ ने पुलिस थाना शम्भुपुरा में अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 एवं 8 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 406 एवं 420 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज कराया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 105 सन् 2017 है। इस एफ.आई.आर की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील है। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना शम्भुपुरा ने संपूर्ण अनुसंधान कर अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त धाराओं में किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित किया जाना प्रमाणित होना नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मानते हुए न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट देते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता है। इस पुलिस द्वारा प्रस्तुत न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 30.10.2021 को स्वीकार कर लिया गया और न्यायालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उपरोक्त अपराध वस्तुतः कारित ही नहीं किया था। न्यायालय के उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न आवेदन है। प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग चित्तौड़गढ़ श्री हितेश जोशी ने जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को यह लिखित में दे दिया था कि अपीलार्थी के मामले में विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाने से पूर्व कोई विभागीय जांच एवं भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा नहीं किया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया था कि किसी भी उपभोक्ता की शिकायत केरोसनी व गेंहू दुरूपयोग करने की उन्हे प्राप्त नहीं हुई थी। प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को लिखित में दिये गये उक्त वर्णित आशय के जवाब की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने प्रकरण संख्या 479/2016 के द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 6/2001 निरस्त कर प्रतिभूति जप्त करने का जो आदेश जैर अपील दिनांक 13.12.2017 को पारित किया हैं वह विधि विरूद्ध होकर वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है इस कारण यह अपील पेश की जा रही है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 13.12.2017 को अपीलार्थी का उक्त लाईसेंस निरस्त किया यह आदेश पूर्णतः विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं क्योंकि इस आदेश को जारी करने से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई नोटिस अपीलार्थी पर तामील ही नहीं कराया गया था और अपीलार्थी को किसी जांच में सूचना देकर सम्मिलित ही नहीं किया गया था और न ही आदेश जैर अपील लाईसेंस निरस्ती दिनांक 13.12.2017 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धांत की परिकल्पना में सुना गया क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई नोटिस अपीलार्थी पर तामील ही नहीं हुआ। जब कोई नोटिस की तामील अपीलार्थी पर नहीं हुई तो उसके द्वारा जवाब नहीं देने व लापरवाही व अनुशासनहीनता बरतने का प्रन ही पैदा नहीं होता है। इस कारण आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। जिला रसद अधिकारी ने जांच के लिए जो कमेटी गठित की थी उस कमेटी ने भी किसी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहां प्रस्तुत ही नहीं की थी। यह भी आदेश जैर अपील से प्रकट हैं। किसी भी प्रकार की केरोसीन या गेंहू के खुर्द–बुर्द कर राजकीय सामग्री का दुरूपयोग करने का तथ्य किसी भी साक्ष्य से प्रकट नहीं होते हुए भी और पुलिस द्वारा भी समग्र अनुसंधान के बाद कोई अपराध या दुरूपयोग नहीं पाया जाना भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के लाईसेंस को निरस्त करने में न केवल अवैधानिकता की है वरन यह आदेश मनमाना एवं वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल होने से भी निरस्त किये जाने योग्य है। इस अपीलाधीन आदेश में स्वयं जिला रसद अधिकारी यह मान रहे हैं कि इस मामले में प्रथम सूचना संख्या 105 दिनांक 12.07.2017 दर्ज होकर विचाराधीन है। इसके विचाराधीन रहते जो लाईसेंस निरस्ती का आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। एफ.आई.आर. के आधार पर जो मामला पुलिस थाना शम्भुपुरा में दर्ज हुआ उसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध अपीलार्थी के विरूद्ध नहीं पाया है और न्यायालय ने भी अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपराध बनना प्रमाणित नहीं माना है और एफ.आर. स्वीकार की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का उचित मूल्य की दुकान के एफपीएस कोड संख्या 24171 का प्राधिकार पत्र संख्या 6/2021 पुनः बहाल किया जाना विधि सम्मत है। दिनांक 15.11.2021 को अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहां प्रार्थना पत्र देकर लाईसेंसी बहाली हेतु निवेदन किया किन्तु उनके द्वारा श्रीमान के यहां अपील प्रस्तुत करने का मौखिक निर्देश दिया गया है और लाईसेंस बहाल नहीं किया इस कारण यह अपील पेश की जा रही है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2017 का है जिसकी एफआईआर होकर अनुसंधान जारी था और न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से दिनांक 30.10.2021 को पुलिस की फाईनल रिपोर्ट को स्वीकार कर अपीलार्थी को निर्दोष माना गया व तद्नन्तर दिनांक 15.11.2021 को जिला रसद अधिकारी ने भी लाईसेंस बहाली से इन्कार कर अपीलार्थी को अपील की हिदायत दी और लाइसेंसी निरस्ती से लेकर न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2021 तक यह मामला पुलिस के अनुसंधान में रहा और न्यायालय के विचारार्थ पेण्डिंग रहा बाद में न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 11.11.2021 को प्राप्त हुई और दिनांक 15.11.2021 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने लाईसेंस बहाल करने से इन्कार कर अपीलार्थी को अपील करने हेतु मौखिक निर्देश किया इस कारण यह अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी काबिल कण्डोन है। इस संबंध में फिर भी धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय अपीलार्थी के शपथ पत्र के साथ अलग से प्रस्तुत हैं जो स्वीकार योग्य है और अपीलार्थी की अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का दिनांक 13.12.2017 को पारित आदेश बमामले मुकदमा नंबर रसद/विधि/479/2016 सरकार बनाम आवेश अख्तर उचित मूल्य दुकानदार सावा एफपीएस कोड संख्या 24171 लाईसेंस नंबर 6/2001 निरस्त किया जाकर उचित मूल्य की दुकान एफपीएस कोड 24171 का प्राधिकार पत्र संख्या 6/2001 बहाल किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की और से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/रसद/विधि/2021/84 दिनांक 05.01.2022 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 479/2016 निर्णय दिनांक 13.12.2017 अनवानी सरकार बनाम आवेश अख्तर प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 13.04.2022 को पैरोकार सरकार ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया।

इस पर सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2017 का है जिसकी एफआईआर होकर अनुसंधान जारी था और न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से दिनांक 30.10.2021 को पुलिस की फाईनल रिपोर्ट को स्वीकार कर अपीलार्थी को निर्दोष माना गया व तद्नन्तर दिनांक 15.11.2021 को जिला रसद अधिकारी ने भी लाईसेंस बहाली से इन्कार कर अपीलार्थी को अपील की हिदायत दी और लाइसेंसी निरस्ती से लेकर न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तक यह मामला पुलिस के अनुसंधान में रहा और न्यायालय के विचारार्थ पेण्डिंग रहा बाद में न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 11.11.2021 को प्राप्त हुई और दिनांक 15.11.2021 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने लाईसेंस बहाल करने से इन्कार कर अपीलार्थी को अपील करने हेतु मौखिक निर्देश किया इस कारण यह अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी काबिल कण्डोन है।

इस पर विद्वान पैरोकार ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलांट/अप्रार्थी को प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं अपीलार्थी जानबूझकर अनुपस्थित रहा जिससे न्यायालय द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर निर्णय दिनांक 13.12.2017 पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस से अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट ने अपीलांट का अपील उद्‌देश्य व्यर्थ हो जायेगा और नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। अपीलांट प्रकरण में विचारणीय बिन्दु न्यायिक तार्किक एवं बहुमूल्य अधिकारों से संबंधित है जिनका मयाद के तकनिकी बिन्दु पर न्याय से अपीलांट को वंचित कर निर्णित किया जाना न्याय संगत नहीं है जिससे समस्त देरी को कंडोन किया जाकर अपील दर्ज फरमा गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, अतः अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद अवधि शुमार की जाती है।

इस के पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस पत्रावली में अपील मेमों वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सन् 2016 में अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार की दुकान पर पोस मशीन में अवैध ट्रांजेक्शन राशन वितरण के संबंध में बताकर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.07.2017 को श्री हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी (रसद) चित्तौड़गढ़ ने पुलिस थाना शम्भुपुरा में अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 एवं 8 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 406 एवं 420 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज कराया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 105 सन् 2017 हैं। इस एफ.आई.आर की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील है। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना शम्भुपुरा ने संपूर्ण अनुसंधान कर अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त धाराओं में किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित किया जाना प्रमाणित होना नहीं मानते हुए न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट देते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता है। इस पुलिस द्वारा प्रस्तुत न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 30.10.2021 को स्वीकार कर लिया गया और न्यायालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उपरोक्त अपराध वस्तुतः कारित ही नहीं किया था। न्यायालय के उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न आवेदन है। प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग चित्तौड़गढ़ श्री हितेश जोशी ने जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को यह लिखित में दे दिया था कि अपीलार्थी के मामले में विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाने से पूर्व कोई विभागीय जांच एवं भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा नहीं किया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया था कि किसी भी उपभोक्ता की शिकायत केरोसनी व गेंहू दुरूपयोग करने की उन्हे प्राप्त नहीं हुई थी। प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को लिखित में दिये गये उक्त वर्णित आशय के जवाब की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने प्रकरण संख्या 479/2016 के द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 6/2001 निरस्त कर प्रतिभूति जप्त करने का जो आदेश जैर अपील दिनांक 13.12.2017 को पारित किया है वह विधि विरूद्ध होकर वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है इस कारण यह अपील पेश की जा रही है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 13.12.2017 को अपीलार्थी का उक्त लाईसेंस निरस्त किया यह आदेश पूर्णतः विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर पैरोकार सरकार ने सर्वप्रथम मियाद के प्रश्न का उठाया एवं बताया कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा तथा बाद में जानबूझकर अनुपस्थित रहा जिससे न्यायालय द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाकर निर्णय दिनांक 13.12.2017 पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलार्थी अत्यधिक विलम्ब से लगभग 4 वर्षो के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार से ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिस से अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाई जावें। इसके पश्चात् पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का दृष्टिपात कराया एवं बताया कि श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ 6 खा.वि./कम्प्यूटर/पॉस/एफ. आई.आर./2016-17 दिनांक 21.11.2016 द्वारा दिये गये आदेशानुसार अवैध टांजेक्शनों की जांच में की गई कार्यवाही के आधार पर ही अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। खाद्य विभाग से प्राप्त सूची अनुसार उक्त डीलर द्वारा एक ही आधार नंबर द्वारा एक से अधिक ट्रांजेक्शन कर कुल 177 ट्रांजेक्शन किए जिससे 42.80 क्विंटल गेंहू एवं 442.5 लीटर केरोसीन का गलत तरीके से ट्रांजेक्शन किया गया है। उक्त गम्भीर अनियमितता के कारण जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं जमा प्रतिभूति जब्त करने के आदेश दिये गये है, जो विधि सम्मत है। इसके साथ ही जहॉ तक अपीलार्थी द्वारा आपराधिक प्रकरण का तथ्य उठाया गया है इस संबंध में प्राधिकार पत्र के निरस्तीकरण एवं आपराधिक प्रकरण का किसी भी प्रकार से कोई संबंध सरोकार नहीं है, अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि विधि का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि स्वयं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जांचकर्ता व कार्यवाही कर्ता स्वयं पक्षकार व उसके अधीन अधिकारी है उन्ही के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जावेगा तो ऐसा निर्णय एवं की गयी कार्यवाही निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकती जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही न तो निष्पक्ष है न ही उनके द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष कार्यवाही पर आधारित है। अपीलार्थी ने खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी प्रावधान, अनुच्छेद का या प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन या अवहेलना नहीं की गयी। अपीलार्थी का ऐसा कोई कृत्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नही है कि अपीलार्थी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य किया हो या कोई अपराध किया हो, प्रकिया सम्बन्धी कोई त्रुटि भी नही की अनजाने मे प्रक्रिया संबंधित प्रथम त्रुटि भी मानी जाती तो भी उसके लिये प्रताडना के साथ प्राधिकार पत्र को जारी रखने का अवसर न्यायहित में दिया जाना था फिर भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय देना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय का पूर्वाग्रह इससे भी प्रकट है। जहां पैरोकार सरकार द्वारा मियाद का प्रश्न उठाया गया है तो इस संबंध न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 चित्तौड़गढ़ द्वारा अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30.10.2021 को स्वीकार किया गया हैं जिससे अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद पेश की गई है, अन्त में प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 6/2001 बहाल फरमाया जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 13.12.2017 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.12.2021 को प्रस्तुत की गई है जो कि लगभग 4 वर्षो के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। जहॉ तक अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 30.10.2021 से अपील मियाद अवधि में प्रस्तुत किये जाने का तथ्य उठाया गया इस संबंध में अपीलार्थी की और से पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह तथ्य प्रमाणित हो की अपीलार्थी को अपने प्राधिकार पत्र के निरस्त किये जाने के संबंध में अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत् किसी भी प्रकार से मियाद अवधि को विस्तारित किया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपने प्राधिकार पत्र के निरस्त किये जाने से लगभग 4 वर्षीय दीर्घ कालीन विलम्ब हैं एवं विलम्ब का युक्ति–युक्त कारण को परिभाषित किया जाना अति आवश्यक है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के अपील प्रस्तुत किये जाने हुआ विलम्ब क्षम्य योग्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के गुणावगुण का प्रश्न हैं तो इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह साबित/प्रमाणित किया जा सके कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अवैध ट्रांजेक्शनों की जांच के आधार पर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति जब्त करने की कार्यवाही में किसी भी प्रकार से प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की गई है। खाद्य विभाग से प्राप्त सूची अनुसार उक्त डीलर द्वारा एक ही आधार नंबर द्वारा एक से अधिक ट्रांजेक्शन कर कुल 177 ट्रांजेक्शन किए जिससे 42.80 क्विंटल गेंहू एवं 442.5 लीटर केरोसीन का गलत तरीके से ट्रांजेक्शन किया गया हैं, जो कि जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया, ऐसी स्थिति में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन के कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति जब्त करने के दिये गये आदेश में किसी प्रकार के संशोधन हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। अतः अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर भी सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण अपील(रसद) अपीलार्थी मियाद के बिन्दु एवं गुणावगुण (दोनों) पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती हैं, एवं अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 479/2016 अनवानी सरकार बनाम आवेश अख्तर में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**20.04.2022**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-S/D-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़